राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1268/2025

राजीव कुमार **–अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, केवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर रेंज श्रीगंगानगर, उपवन संरक्षक श्रीगंगानगर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2011 में वनरक्षक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.2011 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2019 में सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वर्ष 2022 में वनपाल के पद पर पदोन्नति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज रायसिंह नगर से रेंज श्रीगंगानगर में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 17.01.2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी स्थान का उल्लेख किये बिना वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ में किया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करते हुए मात्र 10 माह का ही समय हुआ है। अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण करना राज्य सरकार के परिपत्र/स्थानान्तरण निर्देश दिनांक 20.04.2011

(अनुलग्नक–5) के विपरीत जाकर किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 (अनुलग्नक–6) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु संख्या 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2023 (अनुलग्नक–7) के द्वारा की गई। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 (अनुलग्नक–8), अपील संख्या 1141/2023 रघुनाथराम बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 (अनुलग्नक–9), अपील संख्या 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–10) तथा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक–11) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को यथावत वर्तमान वनपाल के पद पर रेंज श्रीगंगानगर, उपवन संरक्षक गंगानगर में रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का कियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता

है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य